

डि. नं. 95 /
2014

एटिपान कानून देवनागरी को द्वारा घोषणा करना

18/12/23

सामान्य फौजदारी उपस्थित।
पीठाधीन अधिकारी द्वारा/अवकाश
पर है। प्रशा. कार्या. में व्यस्त है।
पञ्जावली दि. 28/2/24 को पत्र है।

(B)

28-2-24

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
अधिसापक संघ ने कोई कार्य स्वी. न
रखा है। पीठाधीन अधिकारी अन्य
कार्य में व्यस्त है। अतः पञ्जावली
दिनांक 1.5.24 को पत्र है।

(B)

15/4/24

पञ्जावली दिनांक पर धृष्ट अर्थ
वक्ता विरुद्ध अर्थ / अधिवक्ता
वकील को अर् - अर् अर्थात्
संगठित अर्थ / लेखित अर्थ
वक्ता वकील पर धृष्ट अर्थ
स्थापित नहीं। अर्थात् अर्थात्
वकील अर् अर् अर्थात् अर्थात्
अर् अर् अर्थात् अर्थात्
अर्थात् अर्थात् अर्थात्
अर्थात् अर्थात् अर्थात्
अर्थात् अर्थात् अर्थात्
अर्थात् अर्थात् अर्थात्

सपञ्चा अधिकाारी
पेटपुणे, वि. - पेटपुणे - अर्